न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प......ऊजौली

पीठासीन अधिकारीः– विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

रामकलां...............बनाम..............भीम आदि

दावा बाबत.............हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :–156/20.06.2016

निर्णय दिनांकः– **07.06.2017**

वादी /प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....23.05.2016. को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प कोर्ट में पेश होने पर सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीगण विवादित आराजी वाके ग्राम हाजनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान खसरा नम्बर **226/0.12,** हैक्टेयर की नियमानुसार पैमाइश कराये, तत्पश्चात रिपोर्ट पैमाइश के अनुसार पैमाइश रिपोर्ट में उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी गण का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगें कि वो विवादित आराजी के किसी भी जुज पर जबरन कब्जा ना करें, ना वादी की डोल को मिसमार करें, ना निर्माण करें, वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। ना सरकारी आम रास्ता पर अपना अतिक्रमण करे। मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

....

....

....

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह निर्णय आज तारीख....07.06.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.....ऊजौली

Scanned by CamScanner

7-6-17 आज यह पत्रावली फैमिली कोर्ट जालौन में पेश
हुई। वादिया व मीना उप./ आज फैमिली कोर्ट उरई
फैमिली कोर्ट रिकार्ड के उप. नहीं। वादिया कमला
को सुनवाया। सुनकर पत्रा. का अवलोकन किया
गया। वादिया का वाद [illegible] के
आधार पर डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग
कोडिफाय जारी फैमिली कोर्ट में सुनाया गया।
पत्रावली [illegible] दाखिल कमीशन
रजिस्ट्रेशन दफ्तर को भेजी। प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में
सुनाया गया। [signature]